न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा.पत्र संख्या : 308/2025
GCMS NO. : 2025/533

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. मंगलाराम पुत्र शंकर		1. चम्पालाल पुत्र लालीया
2. गणपत पुत्र शंकर		2. छगना पुत्र लालीया
3. माणक पुत्र शंकर		3. रतना पुत्र लालीया
4. प्रकाश पुत्र शंकर		4. रामेश्वर पुत्र लालीया
5. कैलाश पुत्र शंकर		5. हड़मान पुत्र लालीया जातियान– बावरी, निवासीगण– पीपाड़ा, तहसील– जैतारण, जिला ब्यावर राज.।
6. भारतराम पुत्र शंकर		6. तहसीलदार, जैतारण जिला ब्यावर।
7. मदन पुत्र शंकर फौत के का.मु.		7. उपपंजीयन अधिकारी आनन्दपुर कालू, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर।
7.1 राधा पत्नी मदन		
7.2 संतोष पुत्री मदन जातियान बावरी निवासीगण पीपाड़ा, तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज.।		

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख रजू: 04/11/2016

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री देवाराम कटारिया व श्री प्रद्युम्न श्रीमाली, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 22/12/2025**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा पीपाड़ा पटवार हल्का फालका भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आ.कालू तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज. में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तैनी सम्पति खसरा संख्या 149 रकबा 2.3310 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 150 रकबा 2.6952 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 153 रकबा 0.5180 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 166 रकबा 2.3957 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 232 रकबा 3.1565 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 357 रकबा 2.6952 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा संख्या 06 कुल रकबा 13.7916 हैक्टर आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रतिवादीगण के पिता लालीया उर्फ लालु के हिस्से में आई। इसी प्रकार वादीगण के पिता शंकर के हिस्से में आयी भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 2.6143 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 172 रकबा 2.4524 हेक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 202/2 रकबा 0.0567 हेक्टयर किस्म गै.मु. बाडा, खसरा नम्बर 239 रकबा 1.3355 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 4 कुल रकबा 6.4589 हेक्टयर की आयी हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात जो सायलान एवं गैरसायलान् की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति थी जिसका सायलान् एवं गैरसायलान् के पिता ने अपने जीवनकाल में अलग अलग मौके पर सुपुर्द कर दी और बराबर बराबर हक अधिकार प्रदान कर दिये। नकल जमाबन्दीया प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी सेटलमेन्ट से पहले सायलान् एवं गैरसायलान् के दादा भीरदा जी

22.12.25
(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

की थी और उनका मौके पर कब्जा काश्त था और उनके देहान्त होने के पश्चात गैरसायलान् के पिता लालीया उर्फ लालु जो कि कर्ताखानदान थे इसलिए उन्होंने अपनी मनमर्जी से वादग्रस्त सम्पति का बंटवाडा कर लिया और मौके पर अलग अलग जमीने सुपुर्द कर दी उक्त वादग्रस्त आराजीयात राजस्थान काश्तकारी कानून लागु होने से पहले जागीरदारो की थी और टीनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने के बाद में मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर उक्त आराजीयात भीरदा को मिली और भिरदा के फौत होने के पश्चात सेटलमेन्ट के समय सायलान् एवं गैरसायलान् के पिता को प्राप्त हुई सायलान् एवं गैरसायलान् एक ही वंश वृक्षावली से है जो वंश वृक्षावली निम्नानुसार है-

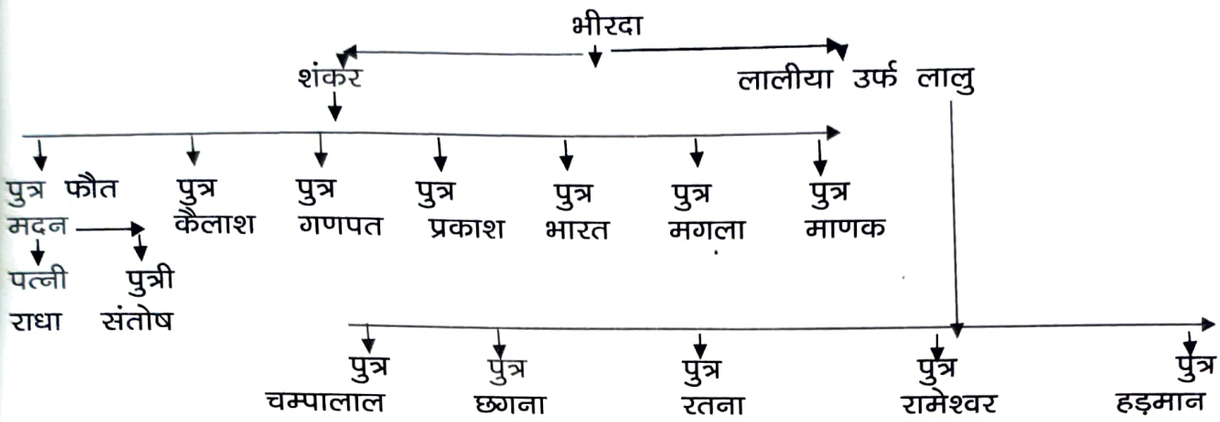

उपरोक्त वंश वशावली के अनुसार सायलान एवं गैरसायलान् एक ही दादा पिता की संतान है और भीरदा के फौत होने के पश्चात वादग्रस्त आराजी दोनो भाई शंकर और लालीया उर्फ लालु ने अपनी सहमति से बंटवाडा कर लिया और मौके पर काबिज हो गये और तब से लेकर के आज दिन तक अपने पिता के समय से किये गये बंटवाडे के अनुसार सायलान् एवं गैरसायलान् काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। गैरसायलान् का पिता लालीया उर्फ लालु जो कि परिवार में कर्ताखानदान था इस कारण से गैरसायलान् के पिता ने सायलान् के पिता को जमीन कम दी और स्वयं गैरसायलान् के पिता लालीया उर्फ लालु ने अपने नाम 13.7916 हैक्टयर जमीन राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा दी जिसकी जानकारी सायलान के पिता को नहीं थी और सायलान् के पिता के नाम 6.4589 हैक्टयर जमीन राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा दी परन्तु मौके पर कब्जा दोनो का बराबर बराबर था और खसरा नम्बर 150 जो राजस्व रेकर्ड में नाम पहले गैरसायलान् के पिता का था और उसके पश्चात गैरसायलान् के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ लेकिन खसरा नम्बर 150 पर कब्जा काश्त सेटलमेन्ट से लेकर अर्थात जब दोनों भाईयो ने सेटलमेन्ट के समय अपनी जमीनो का बंटवाडा किया तब से लेकर आज दिन तक खसरा नम्बर 150 पर सायलान का कब्जा काश्त निर्विवाद रूप से चला आ रहा है परन्तु गैरसायलान् के पिता लालीया उर्फ लालु जो कि कर्ताखानदान थे इस कारण से उन्होने तत्कालीन आर आई पटवारी से मिलकर के खसरा नम्बर 150 राजस्व रेकर्ड में अपने नाम इन्द्राज करवा दिया जिस कारण गैरसायलान् के पिता के पास जमीन अधिक हो गयी। यह जमीन पैतृक पुश्तैनी सम्पति थी और दोनो भाईयो का बराबर बराबर मिलनी चाहिये थी लेकिन शंकर सायलान् के पिता अनपढ था और उन्हे राजस्व रेकर्ड की जानकारी नहीं थी और वह अपने भाई लालीया उर्फ लालु पर पूर्ण भरोसा एवं विश्वास करते हुए जो उसके हिस्से में जमीन दी गयी उस पर काबिज होकर काश्त करने लग गया परन्तु उसे राजस्व रेकर्ड की कभी जानकारी नहीं हुई और शंकर के फौत होने पर सायलान् खसरा नम्बर 150 पर काबिज

(मनोज कुमार मीना, RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

होकर काश्त करते थे लेकिन राजस्व रेकर्ड में नाम पहले लालीया उर्फ लालु का व उसके पश्चात गैरसायलान् का चला आ रहा है जो कतई विधिविरुद्ध है क्योकि उपरोक्त वर्णित आराजी जब सायलान् एवं गैरसायलान ने आपसी सहमति से बंटवाडा किया तो खसरा नम्बर 150 की जमीन अर्थात सायलान् के हिस्से में जो चार खसरे आये उनके अलावा खसरा नम्बर 150 पर भी मालिकाना हक सायलान का ही था इसलिए सायलान हमेशा यह मानते आ रहे थे कि खसरा नम्बर 150 पर उनका मालिकाना हक है परन्तु यह इस बात से पूर्णतया अनभिज्ञ थे कि लालीया तर्फ लालू ने पटवारी आरआई से मिलकर के खसरा नम्बर 150 राजस्व रेकर्ड मे अपने नाम करवा दिया जबकि सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक खसरा नम्बर 150 पर सायलान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है गैरसायलान् या इनके पिता लालीया उर्फ लालु का खसरा नमबर 150 पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा था। खसरा नम्बर 150 जो कि टीनेन्सी एक्ट लागु होने से पहले जागीर प्रथा के तहत जागीरदारों की जमीन थी और जिसका अंकन खसरा गिरदावरी संवत 2010 से लगायत 2028 तक में स्पष्ट है जिसमे खसरा नम्बर 150 जागीर खसरा सदर का अंकन है तो इस प्रकार इससे भी स्पष्ट है कि उक्त खसरा टीनेन्सी एक्ट के लागु होने से पहले जागीरदारी प्रथा के अनुसार जागीरदारो का था और उसके पश्चात टीनेन्सी एक्ट लागु होने के पश्चात उक्त जमीन सायलान के पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है और जो खसरा गिरदावरी संवत 2010 से 2028 है उसमे यह स्पष्ट है कि इन खसरो मे ज्वार चना व तिल व अन्य फसलो की बुवाई समय समय पर होती थी और उपरोक्त खसरा नम्बर 150 को संवत 2014 से 2017 के बीच सायलान के पिता शंकर ने काश्त के लिये अपने गांव के ही हडमानदास साद, सुन्दरदास साथ को काश्त के लिये दी थी और इन दोनो भाईयों ने काश्त की और जिसका हासल सायलान् के पिता को दिया था जो खसरा गिरदावरी संवत 2014 से 2017 में स्पष्ट है तो इस प्रकार खसरा नम्बर 150 पर सायलान के पिता का शुरू से ही कानून हक अधिकार था गैरसायलान या उनके पिता का इस खसरा पर कानूनन कोई एक अधिकार नहीं था लेकिन फिर भी गैरसावलान के पिता जबरदस्ती कर्ताखानदान होने से राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवा दिया जो पूर्णतया विधिविरुद्ध है और जब गैरसायलात् या उनके पिता का वादग्रस्त खसरा नम्बर 150 पर कभी कब्जा काश्त रहा ही नहीं तो एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त को आधार पर भी सायलान् उक्त वादग्रस्त आराजी के स्वतः ही अर्थात कानूनन खातेदार काश्तकार हो जाते है इसलिए खसरा सम्बर 150 में सायलान् को खातेदार काश्तकार की घोषणा बाबत् मूल वाद व यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत है। वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 150 की आराजी से गैरसायलान् वा उनके पिता का कभी कोई कब्जा कास्त नही रहा तथा शुरू से आज दिन तक उक्त आराजी पर एक मात्र कब्जा काश्त सायलान् का व इससे पहले इनके पिता का था और जो कब्जा काश्त पिछले 80 सालो से अधिक समय से सायालान् के दादा पिता व अब सायलान् का कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए कानूनन एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त के अनुसार बाई ऑपरेशन ऑफ द लॉ सायलान् कानूनन वादग्रस्त खसस नम्बर 150 के खातेदार काश्तकार हो गये है गैरसायलान हमेशा आउट ऑफ पजेशन रहे लेकिन गैरसायलान् के पिता ने तत्कालीन आर आई पटवारी से मिलीभगत करते हुए सायलान को उनके जायज हक अधिकारो से महरूम करने और अपने भाई से ज्यादा सम्पति हडप करने की मंशा से गलत तथ्यों का समावेश

22.11.25

(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

करते हुए अपना नाम खसरा नम्बर 150 मे इन्द्राज करवा दिया जबकि गैरसायलान् का खसरा नम्बर 150 पर कतई कोई कानूनन अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान का कोई हक अधिकार होता तो मौके पर उनका कब्जा काश्त होता जो आज दिन तक नही रहा तो इस प्रकार खसरा नम्बर 150 पर सायलान मालिकाना हक रखते है और विधि का भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी व्यक्ति यदि लम्बे समय तक किसी आराजी पर काश्त करता है तो वह उस आराजी का स्वतः ही अर्थात कानूनन बाई ऑपरेशन ऑफ द लॉ उस आराजी का मालिक हो जाता है और इसी अनुरूप सायलान वादग्रस्त आराजी के मालिक है परन्तु राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज नहीं होने के कारण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 150 में अपने नाम की खातेदारी घोषणा करवाने बाबत् मूल वाद व यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसावलान् के पेश है। वादग्रस्त आराजी जिस पर गैरसायलान् का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा और इससे पहले न उनके पिता का कब्जा काश्त रहा परन्तु कर्ताखानदान होने की मंशा से और नियत में खोट होने की वजह से अपने सगे भाई से अधिक जायदाद रखने की लालसा से गैरसायलान् के पिता ने तत्कालीन आर आई पटवारी की मिलीभगती से अपना नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा लिया परन्तु खसरा नम्बर 150 पर भीरदा जी के समय से कब्जा काश्त पहले सायलान के पिता का व उसके पश्चात सायलान् का चला आ रहा है परन्तु सायलान् के पिता अनपढ थे उन्हे रेवेन्यु रेकर्ड की जानकारी नहीं थी और न ही कभी सायलान् ने राजस्व रेकर्ड देखा मौके पर अपना हक हिस्से व अपना मालिकाना हक मानते हुए उक्त खसरे पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे लेकिन दिनांक 27/10/2025 को सायलान् खसरा नम्बर 150 की जमीन को तैयार करके चने की फसल की बुवाई करने गये थे कि गैरसायलान मौके पर आये और वादग्रस्त खसरा नम्बर 150 पर सायलान को काश्त करने से मना कर दिया तब सायलान् ने कहा कि उक्त आराजी को वह अपने पिता के समय से काश्त कर रहे है तब गैरसायलान् ने कहा कि उक्त आराजी में हमारा नाम है हम इसे किसी अन्य को बेचेगे या आपको मौके से बेदखल करेंगे तब गैरसायलान को सायलान और गांव वालो ने भी समझाईस की परन्तु गैरसायलान अपनी हठधर्मिता पर अडे रहे एवं सायलान् को उनके कब्जे काश्त से बेदखल करने एवं राजस्व रेकर्ड मे अपने गलत नाम इन्द्राज होने के आधार पर उक्त खसरा नम्बर 150 की भूमि को किसी अन्य को रहन बैचान हस्तान्तरण करने एवं सायलान के हक हिस्से की भूमि में अतिक्रमण का कच्चा पक्का निर्माण कर खुर्द बुर्द परिवर्तन आदि करने की ऐलानियाा धमकीया दी तब सायलान ने राजस्व रेकर्ड की सम्पूर्ण नकले प्राप्त की तो उन्हें जानकारी हुई तो उन्होंने पुनः गैरसायलान् से समझाईस की कि उपपंजीयन कार्यालय में चलकर खसरा नम्बर 150 की आराजी उनके नाम इन्द्राज करवा दे परन्तु गैरसायलान नहीं माने और वादग्रस्त आराजी पर को अन्य अजनबी केता को बेचान करने का कथन किया। यदि गैरसायलान् गलत नाम इन्द्राज होने के आधार पर खसरा नम्बर 150 की आराजी को किसी अन्य अजनबी व्यक्तियों को रहन बेचान हस्तान्तरण कर देते है या सायलान को मौके से बेदखल कर देते है तो सायलान् अपने जायज हक अधिकारो से महरूम हो जायेगे जबकि गैरसायलान् के पास तो पहले से ही पैतृक पुश्तैनी सम्पति हक हिस्से से ज्यादा है और अब यदि खसरा नम्बर 150 पर भी कब्जा कर लेते है तो सायलान् अपने साम्पैतिक हक अधिकारो से महरूम हो जायेगे एवं सायलान को असीम क्षत्ति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों में भी

(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

नहीं आंका जा सकेगा। जबकि खसरा नम्बर 150 पर गैरसायलान का कोई हक अधिकार नहीं है खसरा नम्बर 150 पर एक मात्र मालिकाना हक सायलान का चला आ रहा है लेकिन राजस्व रेकर्ड में गलत नाम इन्द्राज होने के आधार पर यदि गैरसायलान् उक्त आराजी को किसी अन्य को बेचान करते है या मौके से बेदखल करते है तो मौके पर लडाई झगडा होगे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स बढ़ेगी विवाद बढ़ेगा। विविध प्रकार की पेचीदगिया बढेगी। जबकि सायलान् शांतिप्रिय लोग है और कानून में विश्वास करने वाले लोग है इसलिए इन सभी विवादों से बचने के लिये सायलान् के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का सायलान की और से विरूद्ध गैरसायलान के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। समस्त तथ्यो, परिस्थितियो, खसरा गिरदावरी मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन बखुबी सायलान् के पक्ष में साबित है परन्तु गलत तरीके से राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज होने के आधार पर गैरसायलान् वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 150 को किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को रहन बेचान बक्सीस हस्तान्तरण कर देते है या सायलान को उनके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हुए मौके से बेदखल कर देते है तो सायलान् को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है इसलिए सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तवेजात पेश कर निवदन है कि सरहद मौजा पीपाडा पटवार हल्का फालका भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ. कालू तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज. में स्थित खसरा नम्बर 150 रकब 2.6982 हेक्टयर किस्म बारानी दोयम में सायलान् काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करें या कराये तो उसमे गैरसायलान् उनके नोकर चाकर हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार की दखल व दस्तन्दाजी नहीं करे व न ही सायलान को उनके कब्जे से बेदखल करने एवं न ही वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य को रहन बेचान हस्तान्तरण वसीयत बक्सीस आदि करे एवं न ही वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण कर कच्चा पक्का निर्माण कर रदोबदल एवं परिवर्तन आदि करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायलान् को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जाये एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति भी मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक यथावत् रखी जाये तथा सायलान् उपरोक्त खसरे में काश्त करे तो गैरसायलान् कोई रूकावट बाधा अडचन आदि नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 की ओर अधिवक्ता श्री देवाराम कटारिया ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जो सा0मि0 है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना-पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 में वर्णित तमाम खसरान् सही व सत्य है जो कि वक्त सैटलमेन्ट से लालीया पुत्र भीरदा के नाम से आयी हुई है व उनकी अकेले की कृषि भूमि थी उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान काबिज काश्त है सायलान् का इस भूमि से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 में वर्णित तमाम तथ्य गलत व अस्वीकार है। वक्त सेटलमेन्ट से लालीया पुत्र भीरदा जो कि गैरसायलान् के दादा परदादा है उनकी कृषि भूमि अलग थी तथा सायलान् के बाप दादा परदादा अलग से जो कि शंकरीया पुत्र वीरदा के नाम से थे उनकी कृषि

22.11.25
(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

भूमि अलग है जो खसरा नम्बर 169, 172, 239 की आयी हुई है जिस पर सायलान् काबिज काश्त है जिसका गैरसायलान् की भूमि से कोई लेना देना नही है व वक्त सेटलमेन्ट से काबिज काश्त है। वंश वंशावली गलत बतायी गयी है क्योकि भीरदा के तीन पुत्र थे जो शंकर, लालीया व रीदा है व रीदा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 134, 156, 191, 194, 195, 204, 353 आई हुई है जिस पर रीदा के परिवार वाले काबिज काश्त है। इस फिकरे में लिखे तमाम तथ्य गलत व अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 में लिखे तमाम तथ्य गलत व अस्वीकार है। वक्त सेटलमेन्ट से तीनो के हिस्से अलग अलग आये हुए है व अलग अलग काबिज काश्त थे माफिक काबिज काश्त अनुसार वक्त सेटलमेन्ट से अलग अलग पर्चा लगान बनाया जाकर मिसल बन्दोबस्त तैयार की गई जिसके अनुसार आज भी काबिज काश्त है। खसरा नम्बर 150 वक्त सेटलमेन्ट से गैरसायलान् के दादा परदादा लालीया की कृषि भूमि थी जिस पर उनकी मृत्यु के बाद गैरसायलान् काबिज काश्त है खसरा नम्बर 150 का सायलान् का कोई लेना देना नहीं है न ही कभी काबिज काश्त रहे है गैरसायलान् ने सन 2018 से आज दिन तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करते आ रहे है। जिसमे 150 नम्बर खसरा भी सामिल है व लगातार क्षतिपूर्ति का मुआवजा भी गैरसायलान् प्राप्त करते आ रहे है। खसरा नम्बर 150 वर्तमान मे भी गैरसायलान् के कब्जे मे है व काबिज काश्त है गैरसायलान् के कब्जे मे वक्त सेटलमेन्ट से लालीया पुत्र भीरदा के हक हिस्से की कृषि भूमि खसरा नम्बर 149, 150, 153, 166, 232, 357 कुल रकबा 85 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि आयी हुई है जिस पर लालीया के वारिसान गैरसायलान् काबिज काश्त है व बतौर खातेदार नाम दर्ज है किसी प्रकार से सायलान् का इन खसरान् भूमि से कोई लेना देना नहीं है न ही खसरा नम्बर 150 का सायलान् को लेना देना है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 में वर्णित तमाम तथ्य गलत व अस्वीकार है। खसरा नम्बर 150 भी गैरसायलान के दादा परदादा लालीया के हिस्से की कृषि भूमि थी व वक्त सैटलमेन्ट से उनका नाम चला आ रहा है व काश्त भी चला आ रहा है जहां तक गिरदावरी का प्रश्न है जो साक्ष्य में ग्राहय नहीं है व नहीं खातेदारी अधिकार प्रदान करती है सभी कथन गलत होने से गैरसायलान अस्वीकार करते है किसी प्रकार से खसरा नम्बर 150 का सायलान् का कोई लेना देना नहीं रहा है व न वक्त सेटलमेन्ट के बाद व न ही वक्त सेटलमेन्ट से पहले खसरा नम्बर 150 पर सायलान् का कोई दादा परदादा व औलाद का कब्जा काश्त रहा है केवल काल्पनिक आधारो से भूमि हडपने से व जबरन कब्जा करने की योजना बनाकर गलत प्रार्थनापत्र पेश किया है जो गैरसायलान् तमाम तथ्य सिरे से खारिज करते है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 में वर्णित तमाम तथ्य गलत व अस्वीकार है। सायलान् का कभी भी वक्त सेटलमेन्ट से आज दिन तक खसरा नम्बर 150 पर कोई काबिज काश्त नहीं रहे है व न ही किसी प्रकार से घोषणा की रिलीफ पाने के अधिकारी है और न ही स्थाई निषेधाज्ञा य अस्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ पाने के अधिकारी है केवल मात्र गैरसायलान् को परेशान करने के लिये झुठा व गलत आधारो पर प्रार्थनापत्र पेश किया है। उक्त आराजी गैरसायलान् की है जिसमे गैरसायलान् काबिज काश्त है व बिना किसी रोकटोक के काश्त करते आ रहे है। सायलान की अलग खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर सायलान् काबिज है। खसरा नम्बर 150 के एक मात्र स्वामी खातेदार काश्तकार गैरसायलान् है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 में वर्णित तमाम तथ्य गलत व अस्वीकार है।

22.12.25
(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

खसरा नमबर 150 में कभी भी सायलान का कब्जा काश्त नही रहा है न ही कभी इस जमीन पर स्वामित्व हक रहा है केवल मात्र गैरसायलान् को परेशान करने के लिये व जमीन हड़पने के उदेश्य से झूठा प्रार्थनापत्र पेश किया है क्योकि वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व ही तीनो भाईयो की अलग अलग कृषि भूमि आयी हुई है व अलग अलग कृषि भूमि मे अलग अलग हिस्से पर काबिज काश्त है खसरा नम्बर 150 गैरसायलान् की आराजी का एक भाग है जिस पर गैरसायलान् वक्त सेटलमेन्ट से आज दिन तक पीढी दर पीढी काश्त करते चले आ रहे है व काबिज काश्त है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 7 में वर्णित तथ्यो का जबाब है कि जबाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो, परिस्थितियो दस्तावेजात एवं मौके पर गैरसायलान् का अपने पूर्वजो के समय से आज दिन तक कब्जा काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायलान् की बजाय गैरसायलान् के पक्ष में प्रमाणित है तथा सायलान् द्वारा काल्पनिक तथ्यो पर आधारित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र पर किसी प्रकार का कोई आदेश गैरसायलान के विरूद्ध पारित किया जाता है तो अपूर्णिय क्षति भी गैरसायलान को होना सुनिश्चित है। सायलान् के पक्ष में प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो घटक प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति तीनो ही बिन्दू प्रमाणित नही होने से सायलान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

1. प्रथम दृष्टया मामला *:- प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध सरहद मौजा पीपाड़ा पटवार हल्का फालका भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला ब्यावर में स्थित खसर संख्या 150 रकबा 2.6952 हैक्टर किस्म बारानी दोयम पर वादीगण का सेटलमेंट से पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त तथा एडवर्ड पजेशन के सिद्धान्त के आधार पर तथा वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी होने एवं उन्हे उक्त आराजी उनके दादा पिता के समय से बंटवाड़े से प्राप्त होने के आधार पर प्रतिवादीगण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम के इन्द्राज के स्थान पर स्वयं के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का दावा प्रस्तुत किया है, जो कि विचाराधीन है।* मूल वाद के अनुतोष के सम्बन्ध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सायलान् के पिता शंकर के पिता बीरमा नाम से दर्ज थी, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है, जो कि अप्रार्थीगण को उनके पिता लालीया उर्फ लालु पुत्र बिरदा से विरासत में प्राप्त हुई है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत फैहरिस्त दस्तावेज के अनुसार थानाधिकारी पुलिस थाना आनन्दपुर कालू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 14.11.2025 अन्तर्गत धारा 126, 135 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार शंकरलाल, बीरदा के बड़े भाई है तथा वर्तमान में खसरा संख्या 150 पर सायलान का कब्जा काश्त है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में भूमि पैतृक पुश्तैनी होने, सायलान् के हक अधिकार उक्त वादग्रस्त आराजी में निहित होने तथा एडवर्ड पजेशन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित होता है।

(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

2. सुविधा का सतुंलन :- चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त पैतृक पुश्तैनी आराजी में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया है। अतः सुविधा का सतुंलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णनीय क्षति :- चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित हुये है। साथ ही यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया जाता है तो यह पूर्ण आशंका है कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण किया जा सकता है तथा ऐसे होनें पर वाद में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी एवं विलम्ब होगा। जिससे प्रत्यक्षतः प्रार्थीगण प्रभावित होंगे तथा प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति भी कारित होगी। अतः यह स्पष्ट है कि यदि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जाती है तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र को साबित करनें में पूर्णतया सफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी का रहन बैचान एवं हस्तान्तरण नहीं करने तथा भू अभिलेख तथा मौके की वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं करनें बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा पीपाड़ा पटवार हल्का फालका भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आ.कालू तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज. तहसील जैतारण के खसरा संख्या 150 रकबा 2.6952 किस्म बारानी दोयम का रहन, बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख एवं मौका स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(मनोज कुमार पीणा RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

निर्णय आज दिनॉक 22/12/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(मनोज कुमार पीणा RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)